न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
429 / 2007	10.04.2007	4.4.23

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– संतोषबाई पुत्री रामनाथ जाति दादूपंथी निवासीनी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी कापरेन जिला बूँदी(राज0)

(वादीनी)

बनाम

1– रामरतन आत्मज गोपालदास जाति दादूपंथी
2– मायाराम आत्मज रामरतन जाति दादूपंथी
3– हनुमान आत्मज रामरतन जाति दादूपंथी
4– भंवरीबाई पुत्री केसरबाई जाति दादूपंथी
निवासीगण मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा
5– सुरज्याबाई मृतक जर्ये कायम–मुकामान
5/1 रेखा पत्नि श्री नवीन स्वामी (नेता जी) निवासीनी राधाकृष्ण मंदिर के सामने पिपलोन कलॉ तह0 आगर जिला शाजापुर म0प्र0
5/2 गुड्डी पत्नि रघुवीर प्रसाद स्वामी निवासीनी छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा
5/3 प्रेमबाई पत्नि श्या मजी स्वामी निवासीनी म0नं01 डी–17 संजय नगर बी कोटा
6– भंवरलाल आत्मज भगतराम जाति दादूपंथी
7– बाबूदयाल आत्मज भगतराम जाति दादूपंथी निवासीगण मण्डावरा तह0 दीगोद जिला कोटा (राज0)
8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीनी की ओर से -- श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीनी की ओर से निम्न तथ्यों पर वाद पत्र प्रस्तुत निवेदन करती है:–

यह कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर भूमि स्थित बनी आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 सलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 824 का रकबा 5.06 हेक्टर भूमि दर्ज था जो वादीनी के काका जी श्री प्रभुलाल पुत्र केसर बाई बेवा गोपाल दास जी दादूपथी के नाम दर्ज था। प्रभूलाल जी को उक्त भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 5.06 हेक्टर जिसका पुराना खसरा नम्बर 508 की 15 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 513 की 17 बीघा 5 बिस्वा कुल 32 बीघा 7 बिस्वा भूमि है, अपनी माता केसर बाई बेवा गोपाल दास जी की वसीयत से

प्राप्त हुई जिसका इंतकाल नं0 132 दिनांक 31.03.93 प्रभुलाल जी के नाम दर्ज हुआ तथा केसरबाई को उक्त भूमि उनके पिता मोतीदास के दानपत्र के द्वारा प्राप्त हुई।

यह कि वादनी के काका प्रभुलाल जी अविवाहित थे तथा अकेले थे और वादीनी अपने दादा, दादी व काका जी प्रभुलाल जी के पास ही निवास करती थी, वादीनी के दादा दादी वृद्ध थे इस कारण वादीनी के काकाजी प्रभुलाल जी ने वादीनी को मण्डावरा रखा, दादा - दादी की मृत्यु के बाद वादीनी अपने काका प्रभुलाल जी के पास रहती थी तथा वादीनी ने ही प्रभुलाल जिी की सेवा सुश्रूषा की मण्डावरा में कोई अन्य व्यक्ति देखभाल करने वाला नही था इस कारण वादीनी अपने काका जी प्रभुलाल जी को कापरेन ले गयी तथा वादीनी ने ही उनकी देखभाल की , हारी बिमारी में संभाला। प्रभुलाल जी ने अपने जीवन काल में ही अपने खाते की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 824 की 5.06 हेक्टर भूमि में से 1.60 हेक्टर भूमि जर्ये रजिस्ट्री वादनी के खाते दर्ज करवादी तथा प्रभुलाल जी ने अपने खाते की शेष आराजी खसरा नम्बर 824 की 3.46 हेक्टर भूमि की वसीयत अपने जीवन काल , स्वस्थ चित्त अवस्था में वादीनी के पक्ष में दिनांक 10.02.2007 को करदी तथा उक्त टाइप शुदा वसीयत को गवाहान की उपस्थिति में स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये व गवाहान ने भी प्रभुलाल जी के समक्ष अपने हस्ताक्षर बतौर गवाह हस्ताक्षर किये ।

यह कि प्रभुलाल जी अपने जीवन काल तक उक्त मद नं0 1 वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 824 की 3.46 हेक्टर भूमि पर काबिज काश्त रहे ओर अपने खाते की उक्त भूमि को मुनाफे पर जुपवाते थे। प्रभूलाल जी का देहावसान दिनांक 22.02.2007 को हो गया ओर उक्त वसीयत दिनांक 10.02.2007 के अनुसार वादीनी प्रभुलाल जी की खसरा नम्बर 824 की 3.46 हेक्टर भूमि की खातेदार हो गयी तथा खातेदार घोषित होने एवं उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर हमेशा वादीनी के काका व खातेदार प्रभुलाल जी का कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवादीगण का कभी उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है ओर प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह कि वादीनी वृद्व महिला है ओर वर्तमान में कापरेन में निवास करती है इस कारण प्रभुलाल जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गयी है और उपरोक्त भूमि पर वादीनी को काश्त न करने देने व कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमादा हो गये तथा दिनांक 01.04.2007 को प्रतिवादी ने धमकी दी कि वे वादीनी को उक्त भूमि पर काश्त नहीं करने देगें ओर न भूमि पर आने देगे तथा प्रभुलाल जी की फसल को जबरन काट कर चोरी करके ले गये। जब कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है ओर न कब्जा है।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीनी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1– कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 824 की रकबा 3.46 हेक्टर भूमि का वादनी को वसीयत प्रभुलाल जी के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उपरोक्त भूमि वादीनी के खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि प्रतिवादी नं0 8 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

कि स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीनी को मण्डावरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर भूमि के कब्जे [illegible] में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

कि अन्य सहायता हो वह भी वादीनी को प्रदान की जावे।

[illegible]दीनी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-

[illegible] छायाप्रति दान पत्र मोतीदास सम्वत 1996
[illegible] नकल जमाबन्दी सम्वत 1992-1995
[illegible] नकल जमाबन्दी सम्वत 2047-2050 ग्राम मण्डावरा
[illegible]4- छायाप्रति वसीयतनामा केसरबाई 13.03.83
5- छायाप्रति नकल इन्तकाल नं0 132 ग्राम मण्डावरा
6- असली वसीयतनामा प्रभूलाल दिनांक 10.02.2007
7- छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभुलाल 27.02.2007
8- नकल फैसला तहसीलदार दीगोद 23.04.2008
9- नकल नामान्तरण नं0 618 28.04.2008
10- नकल जमाबन्दी सम्वत 2059-2062
11- राशन कार्ड प्रभुलाल
12- रसीद लगान-सिचाई किता 60

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र की मद नं0 2 ता 10 को अस्वीकार किया जाकर विशेष आपत्तिया पेश की है:-

1. यह कि उकत भूमि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण पुश्तैनी समय से ही अपने अपने हिस्से पर दिनांक 20.06.1985 को हुये विभाजन के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। ओर आज भी उसी अनुसार काबिज काश्त है।

2. यह कि विवादित भूमि प्रतिवादीगणों की पुश्तैनी भूमि है अप्रार्थी 1, 4, व 5 की माता व अन्य प्रतिवादिगणों की दादी केसरबाई को अपने पिता से प्राप्त हुई थी। तभी से मृतक प्रभुलाल व प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम मण्डावरा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष पारिवारिक बटवारा दिनाक 20.06.85 को लिखित रुप से हुआ था। जिसके अनुसार ही प्रत्येक अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। मृतक प्रभुलाल की शादी नहीं होने व कोई सुलबी औलाद नही होने के कारण उक्त भूमि गलत रूप से इंतकाल नं0 132 दिनांक 31.03.93 [illegible] परिवार के किसी भी व्यक्तियों द्वारा यह सोच कर विरोध नहीं किया गया कि मृतक प्रभुलाल के प्रतिवादीगण ही केवल मात्र उत्तराधिकारी है।

[illegible] यह कि वादीनी द्वारा कुछ व्यक्तियों से मिल कर के एक फर्जीव बनावटी वसीयत [illegible] प्रभुलाल की मृत्यु के बाद तैयार की गयी है। इसके संबंध में प्रतिवादीगणों द्वारा [illegible] उक्त वसीयत में गवाहों के विरुद्व मुकदमा पुलिस थाना बृढादीत में दर्ज करवा [illegible] है। जिसमें अनुसंधान जरकार है। वादीनी उक्त झूंठी वसीयत के आधार पर [illegible] प्रतिवादीगणों की पुश्तेनी भूमि को हडपना चाहती है। जबकि वादीनी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है ओर न ही उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा [illegible]

यह कि उक्त भूमि पर वर्तमान में भी प्रतिवादीगण की फसल पैदा करने के लिये हांक जोत कर तैयार की हुई है। वादीनी द्वारा वसीयत के गवाह कन्हैयालाल हरिकिशन व कृष्ण दत्त से मिलकर एक झूंठी वसीयत दिनांक 10.02.2007 को बिना किसी स्टाम्प के टाइप करवाकर फर्जी तरीके से तैयार की गयी है उक्त वसीयत पर मृतक प्रभुलाल के झूंठे हस्ताक्षकर गवाह हरिकिशन द्वारा बनाये गये है। जो उक्त वसीयत में हरिकिशन व मृतक प्रभुलाल के हस्ताक्षर में स्वामी शब्द से मिलान करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त वसीयत फर्जी व बनावटी तैयार की गयी है।

यह कि दिनांक 12.03.2007 को ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा भी प्रतिवादीगणों को मृतक प्रभुलाल के कानूनन उत्तराधिकारी तस्दीक किया गया है जिसका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। पटवार हल्का द्वारा भी ग्राम मण्डावरा में मृतक प्रभुलाल के जायज वारिसान की जांच कर इंतकाल दर्ज कर दिया गया था। लेकिन वादीनी द्वारा एक झूंठी व बनावटी वसीयत पेश कर देने से उक्त इंतकाल तस्दीक नहीं हो सका जिसका वादीनी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

यह कि मृतक प्रभुलाल की पुश्तैनी भूमि ग्राम डोलर पटवार हल्का बालोद जिला बूंदी में भी प्रतिवादीगणों के सम्मिलित खाते में दर्ज थी। उस भूमि पर भी प्रतिवादीगणों का ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार ग्राम मण्डावरा की भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 5.06 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 508 की 15 बीघा 12 बिस्वा , खसरा नम्बर 513 की 17 बीघा 5 बिस्वा कुल 32 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगणों की माता व दादी केसर बाई को अपने पिता मोतीदास से प्राप्त हुई थी। जिस पर अपनी माता व दादी के समय से ही प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। ओर आज भी काबिज काश्त है। वादीनी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ओर वादीनी प्रतिवादीगण की कोई रिश्तेदार ही है।

अतःजवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीनी का दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :–

1– आया वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि के स्व0 प्रभूलाल जी खातेदार कृषक थे एवं उनको उक्त आराजी अपनी माता केशरबाई की वसीयत से प्राप्त हुई थी तथा केशरबाई को उसके पिता मोतीदास से दापत्र के द्वारा प्राप्त हुई थी। (वादीनी)

2– आया वाद पत्र में वर्णित आराजी की वादीनी के काका प्रभुलाल जो अविवाहित थे, द्वारा अपने जीवन काल में वादीनी की सेवा सुश्रूषा से प्रसन्न होकर रूबरू गवाहान एवं वसीयतनामा वादीनी के पक्ष में दिनांक 10.02.2007 को आलेखित करवा दिया था।

(वादीनी)

3– आया वादीनी स्व0 प्रभूलाल जी द्वारा दिनांक 10.02.2007 को आलेखित वसीयत के आधार पर वाद पत्र में वर्णित आराजी की खातेदार घोषित करवाने की अधिकारिणी है।

(वादीनी)

4– आया स्व0 प्रभूलाल जी द्वारा ही अपने जीवन काल तक वाद पत्र में वर्णित आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। (वादीनी)

5— आया वादीनी वृद्व महिला होने का नाजायत फायदा उठाते हुए वाद पत्र में वर्णित आराजी पर जबरदस्ती कब्जा काश्त करने पर आमादा है इस हेतु वादीनी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारिणी है। (वादीनी)

6— आया वादीनी द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी व बनावटी होने से वादनी को उक्त वसीयत से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। (प्रतिवादीगण)

7— आया वाद पत्र में वर्णित आराजी पुश्तैनी होने से स्व0 प्रभूलाल को वसीयत करने का अधिकार नहीं था, तथा प्रतिवादीगण पुश्तैनी समय से ही अपने हिस्से पर विभाजन दिनांक 20.06.1985 के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। (प्रतिवादीगण)

प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य विवेचन से तनकीवार विनिश्चय किया जाता है:—

तनकी नं0 1—आया वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि के स्व0 प्रभूलाल जी खातेदार कृषक थे एवं उनको उक्त आराजी अपनी माता केशरबाई की वसीयत से प्राप्त हुई थी तथा केशरबाई को उसके पिता मोतीदास से दापत्र के द्वारा प्राप्त हुई थी। (वादीनी)

उक्त तनकी नं0 1 को साबित करने का भार वादीनी का रहा है। उक्त तनकी को प्रमाणित करने हेतु वादीनी ने पत्रावली में एक्जी0 9 ए दान पत्र, एक्जी07 बी,, प्रदर्श —7 जमाबन्दी ग्राम मण्डावरा सम्वत2047—50, प्रदर्श —10 ए वसीयतनामा, प्रदर्श— 8 मृत्यु प्रमाण पत्र श्री प्रभूलाल स्वामी, प्रदर्श— 74 नामा0 प्रभुलाल, प्रदर्श—10 ए परिवार राशन कार्ड प्रभूलाल स्वामी,प्रदर्श— 11 ए से 60 ए रसीदे लगान—पिलाई, प्रदर्श—2 निर्णय तहसीलदार दीगोद दिनांक23.04.2008 , प्रदर्श——4 जमाबन्दी ग्राम मण्डावरा, प्रदर्श—3 नामा0, प्रदर्श— 6, 7, 11 ता 71, ग्राम मण्डावरा की पेश है। जिसमें समस्त दस्तावेज से जाहिर होता है कि विवादित आराजी के स्व0 प्रभुलाल जी खातेदार कृषक थे एवं उनको उक्त आराजी अपनी माता केशरबाई की वसीयत से प्राप्त हुई है तथा केशरबाई को उसके पिता मोतीदास से दान पत्र के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वादीनी द्वारा अपने वाद के सर्मथन में प्रस्तुत किये गये सभी साक्ष्य यह प्रमाणित करते है कि वादीनी को स्व0 प्रभुलाल स्वामी द्वारा वसीयत की गई है। इस प्रकार यह तनकी बहक वादीनी के पक्ष में तय की जाती है।

2— आया वाद पत्र में वर्णित आराजी की वादीनी के काका प्रभुलाल जो अविवाहित थे, द्वारा अपने जीवन काल में वादीनी की सेवा सुश्रूषा से प्रसन्न होकर रूबरू गवाहान एवं वसीयतनामा वादीनी के पक्ष में दिनांक 10.02.2007 को आलेखित करवा दिया था। (वादीनी)

तनकी नं0 2 का भार वादीनी पर है। एक्जी0 10 ए से जाहिर होता है कि वादीनी के काका प्रभुलाल स्वामी वादीनी की सेवा सुश्रूषा से प्रसन्न थे, जिससे सन्तुष्ट होकर वादीनी के पक्ष में वसीयत आलेखित की गई। इस प्रकार तनकी नं0 2 वादीनी के पक्ष में तय की जाती है।

3— आया वादीनी स्व0 प्रभूलाल जी द्वारा दिनांक 10.02.2007 को आलेखित वसीयत के आधार पर वाद पत्र में वर्णित आराजी की खातेदार घोषित करवाने की अधिकारिणी है। (वादीनी)

तनकी नं0 3 का भार वादीनी पर है। प्रदर्श—2 के आधारी पर मृतक प्रभूलाल आलोदा कुवारा दिनांक 22.02.2007 को फोत होना प्रमाणित होता है। तथा वसीयत से संबंधित भूमि ग्राम मण्डावरा खातेदार मोतीलाल से अपनी पुत्री केसरबाई को दान में प्राप्त हुई है , एवं

केसरबाई के द्वारा अपनी सेवा सुश्रुषा के बदले जरिये वसीयत अपने अविवाहित पुत्र प्रभूलाल को दी गई। जो नामा सं0 132 निर्णय दिनांक 31.03.1993 से प्रभुलाल पुत्र मु0केसरबाई के नाम दर्ज हुई। स्व0 प्रभूलाल द्वारा लालेखित वसीयत दिनांक 10.02.2007 पर अंकित गवाहान के बयान से वसीयत के सही होने की पुष्टि होती हैं। प्रभूलाल द्वारा दिनांक 10.02.2007 को आलेखित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर पर संतोष बाई पुत्री रामनाथ दास के नाम नामा0 दर्ज कर करने के आदेश हुये है। इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित आराजी की संतोषबाई खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। इस प्रकार तनकी नं0 3 वादीनी के पक्ष में तय की जाती है।

4— आया स्व0 प्रभूलाल जी द्वारा ही अपने जीवन काल तक वाद पत्र में वर्णित आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। (वादीनी)

तनकी नं0 4 का भार वादीनी पर है। प्रदर्श 11—71 व प्रदर्श 11 ए —60 से की गई लगान—पिलाई की रसीदें से स्पष्ट होता हे कि विवादित आराजी पर स्व0 प्रभूलाल जी का अपने जीवन काल तक वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर पर काबिज काश्त करते रहे है। इस प्रकार तनकी नं04 वादीनी के पक्ष में तय की जाती है।

5— आया वादीनी वृद्व महिला होने का नाजायत फायदा उठाते हुए वाद पत्र में वर्णित आराजी पर जबरदस्ती कब्जा काश्त करने पर आमादा है इस हेतु वादीनी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारिणी है। (वादीनी)

तनकी नं0 5 का भार वादीनी पर है। विवादित प्रकारण को लेकर प्रतिवादीगणों द्वारा वादीनी को परेशान करने एवं जबरन कब्जा काश्त करने पर आमादा होना जेरकार प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है। वर्तमान में वादीनी वसीयत के आधार पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि में वादीनी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदारी नहीं करने बाबत वादीनी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तनकी नं0 5 वादीनी के पक्ष में तय की जाती है।

6— आया वादीनी द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी व बनावटी होने से वादनी को उक्त वसीयत से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। (प्रतिवादीगण)

तनकी नं0 6 का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त विवादित आराजी को लेकर वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहायक कलेक्टर दीगोद में प्रस्तुत किया , दौराने वाद प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73, 74, एवं 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा कूटरचित वसीयत के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादीनी के पक्ष में वसीयत प्रभूलाल की मृत्यु के पश्चात फर्जी हस्ताक्षरों से तैयार की गई है। मृतक प्रभुलाल द्वारा अपने जीवनलकाल में वादीया को भूमि की करवाई गई रजिस्ट्री व वसीयत पर किये गये हस्ताक्षरों में भिन्नता है। अतः मृतक प्रभुलाल के हस्ताक्षर की जांच विधि प्रयोगशाला से कराई जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए वादीनी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73,74,एवं 75 के तहत अगर कोई दस्तावेज फर्जी है तो उदसे साबित करने का भार दूसरे पक्ष का है, जो फर्जी बतलाता है। प्रार्थी/ प्रतिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420,467,468, एवं

120–बी आई.पी.सी. का थानाधिकारी द्वारा एफ.आर.लगा दी गई जिसे माननीय सिविल न्यायालय दीगोद द्वारा एफ.आर. को स्वीकार किया जा चुका है। एवं तहसीलदार दीगोद ने सम्पूर्ण जांच कर गवाहान के बयान लेकर उभय पक्ष को सुन कर दिनांक 23.04.2008 को विस्तृत विवेचन करते हुए वसीयत को प्रमाणित माना एवं नामान्तकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार वादीनी द्वारा प्रस्तुत वसीयत को, प्रतिवादीगण फर्जी व बनावटी सिद्व करने में सफल नहीं हुये है। इस कारण उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

7– आया वाद पत्र में वर्णित आराजी पुश्तैनी होने से स्व0 प्रभूलाल को वसीयत करने का अधिकार नहीं था, तथा प्रतिवादीगण पुश्तैनी समय से ही अपने हिस्से पर विभाजन दिनांक 20.06.1985 के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। (प्रतिवादीगण) तनकी नं. 7 का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 824 का रकबा 5.06 हेक्टर भूमि दर्ज थी जो वादीनी के काका जी श्री प्रभुलाल पुत्र केसर बाई बेवा गोपाल दास जी दादूपंथी के नाम दर्ज थी। प्रभुलाल जी को उक्त भूमि खसरा नमबर 824 रकबा 5.06 हेक्टर जिसका पुराना खसरा नमबर 508 की 15 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नमबर 513 की 17 बीघा 5 बिस्वा कुल 32 बीघा 7 बिस्वा भूमि है, अपनी माता केसरबाई बेवा गोपालदास जी की वसीयत से प्राप्त हुई जिसका इंतकाल नं0 132 दिनांक 31.03.93 प्रभुलाल जी के नाम दर्ज हुआ तथा केसरबाई को उक्त भूमि उनके पिता मोतीदास के दानपत्र से प्राप्त हुई थी। उक्त विवादित आराजी विरासत से प्राप्त न होकर दान पत्र, वसीयत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार दान पत्र , वसीयत से प्राप्त भूमि को पुश्तैनी भूमि नही कहा जा सकता। इस प्रकार प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी को पुश्तैनी भूमि साबित करने में विफल रहने पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

प्रकरण में तनकीयात कायम होने पर पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। वादीनी की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यु .1 संतोषबाई, पी.डब्ल्यु 2 कृष्णदत्त शर्मा, पी.डब्ल्यु . 3 हरिकिशन स्वामी के प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल है, जिन पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से जिरह की गयी।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73, 74, 75 साक्ष्य अधिनियम वसीयत की जांच हेतु विधि प्रयोगशाला में भेजने बाबत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया कि वादी द्वारा उक्त दावा दिनांक 10.02.2007 को एक कूट रचित वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा बाबत पेश किया गया। मृतक प्रभूलाल प्रतिवादीगण के परिवार का सदस्य है वादीनी से कोई लेना देना नहीं है। ओर वसीयत फर्जी है, उस पर मृतक प्रभूलाल के हस्ताक्षर भी वादीनी ने अन्य गवाहान से मिल कर फर्जी बनाये है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत पर हस्ताक्षरों का मिलान अन्य लोक दस्तावेजों से कराने बाबत विधि प्रयोगशाला भेज कर एक्सपर्ट से जांच कराने की आज्ञा प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र में वादीनी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। नकल प्रति प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को दिलवायी गयी। वादीनी अधिवक्ता ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर वसीयत की जांच करवाने हेतु निवेदन किया है तो साक्ष्य एकत्रित करने का काम न्यायालय का नही है इस प्रकार का प्रार्थना पत्र साक्ष्य एकत्रित करने के समान ही प्रार्थी को इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह विषय वादीनी व न्यायालय का विषय है। वादीनी ने अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया इस

प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को जांन बूझ कर लम्बा करना चाहता है। अतः वादीनी ने जवाब प्रस्तुत कर , प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र को विधिवत उभय पक्ष को सुना गया प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस दिनांक 18.07.2011 को सुनी गयी। प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420,467,468, एवं 120–बी आई.पी.सी. में थानाधिकारी द्वारा एफ.आर. लगायी गयी जिसे सिविल न्यायालय दीगाद द्वारा एफ.आर. स्वीकार की जा चुकी है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73, 74, 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी द्वारा कूटरचित वसीयत के आधार पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद में सुनवाई की जाकर दिनांक 18.07.2011 को प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय के विरूद्व प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करत हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2011 को निर्णित प्रार्थना पत्र में ऐसी काई विधिक अथवा क्षैत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं मानी है एवं निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य पाये जाने पर परिणामतः हस्तगत निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 06.06.2007 को खारिज की जा चुकी है।

पत्रावली को बहस पर नियत की गई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है। दिनांक 10.05.2022 को उभय पक्ष के अधिवक्ताओं एवं पक्षकरान को आवाज लगवायी किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से न तो अधिवक्ता उपस्थित हुए न ही प्रतिवादीगण। अतः प्रकरण में बहस एक पक्षीय नियत की गई वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया गया। जेरकार प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर भूमि का वादिनी को प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार दीगोद के निर्णय दिनांक 23.04.2008 में वसीयत पर पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि मृतक प्रभूलाल लाऔलाद दिनांक 22.02.2007 को ह प्रमाणित होता है तथा वसीयत से सम्बन्धित भूमि ग्राम मण्डावरा खातेदार मोतीलाल से अपनी पुत्री केसरबाई को दान में प्राप्त हुई एवं केसर बाई के द्वारा अपनी सेवा सुश्रुषा के बदले जरिये वसीयत अपने अविवाहित पुत्र प्रभूलाल को दी गई। जो नामा0 सं0 132 निर्णय दिनांक 31.03.1993 से प्रभूलाल पुत्र मु0 केसर के नाम दर्ज हुई। स्व0 प्रभूलाल द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 10.02.2007 पर अंकित गवाहान के बयान से वसीयत के सही होने की पुष्टि तहसीलदार दीगोद ने अपने आदेश में की है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि पैतृतक बताने का जहां तक प्रश्न है यह बिन्दु नामा0 सं0 132 तक होने के समय का था। चूँकि नामा0 सं0 132 दिनांक 31.03.1993 को निर्णत होकर प्रभाव में आ चुका है। प्रभूलाल द्वारा दिनांक 10.02.2007 को की गई वसीयत ग्रहिता संतोषबाई पुत्र रामनाथ दास का नाम दर्ज किया जाना मानकर दिनांक 10.02.2007 को आलेखित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर संतोषबाई पुत्री रामनाथ दास के नाम नामा0 कर वास्ते तरमीक प्रस्तुत करने पर आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश पर पत्रावली में प्रदश–4 दिनांक 26.10.2010 अनुसार नामा0 सख्या 618 से दिनांक 28.04.2008 से खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हे0 मुताबिक निर्णय 23.04.2008 से संतोषबाई पुत्र रामनाथ दास दादूपंथी के नाम दर्ज किया जा चुका है। जेरकार प्रकरण के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट में आदेशिका दिनांक 18.10.2007 अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट में तहसीलदार

दीगोद को रिसिवर नियुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कथन पर प्रार्थना पत्र 212 को मूल वाद के साथ संलग्न किया जाना अंकित है। चूँकी प्रार्थी महिला है तथा विवादित आराजी को प्रार्थना पत्र में इन मीडियो होना बताया है। प्रार्थीनी के इस कथन की पुष्टि थानाधिकारी बूढादीत द्वारा प्रस्तुत प्रकरण धारा 145 सीआरपीसी से होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी इन मीडियो है तथा प्रार्थीया एक महिला है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के निर्णय दिनांक 18.10.2007 से ग्राम मण्डावरा में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजी को कब्जे राज लेकर आवश्यक व्यवस्था करने के आदेश दिये गये है।

प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजी को लेकर थानाधिकारी बूढादीत की ओर से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पार्टी I सन्तोष बाई पुत्री रामनाथ दादूपंथी निवासी मण्डावरा हाल निवास काप्रेन व पार्टी II रामरतन स्वामी पुत्र गोपाल दास जाति दादूपंथी निवासी मण्डावरा एवं पार्टी III नाथूलाल पुत्र तेजमल जाति गुजर निवासी मण्डावरा को पक्षकार बनाया गया है। विवादित प्रकरण को लेकर पार्टी I की ओर से मिसल नं0 429/2007 से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 का दिनांक 10.04.2007 से दर्ज रजिस्टर किया गया साथ में 212 आर टी एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त वाद पत्र में विवादित आराजी को लेकर पार्टी I संतोष बाई की ओर से रिसीवर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो मिसल नं0 89/2007 दिनांक 19.09.2007 से दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें विधिवत उभय पक्षों को सुना जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद से दिनांक 18.10.2007 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम मण्डावरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर भूमि पर मूल वाद के निर्णय होने तक तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया गया एवं रिसीवरी विवादित आराजी को तहसीलदार दीगोद को कब्जेराज लेकर आवश्यक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के द्वारा दिनांक 18.10.2007 को पारित आदेश से व्यथित होकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी से विधिवत उभय पक्षकारान को सुना जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हुए अपील अपीलान्ट को दिनांक 28.04.2010 को खारिज किया जा चुका है।

प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजी को लेकर प्रार्थना पत्र 212 के साथ रिसीवर प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जा चुका है। वाद पत्र, प्रार्थना पत्र 212 , के साथ संलग्न रिसीवरी प्रार्थना पत्र के अलावा विवादित आराजी को लेकर संलग्न इस्तगासा 145 सीआरपीसी को अवलोकन किया गया। मिसल नं0 12/2007 बउनवान सरकार बनाम संतोषबाई व रामरतन वगै0 इस्तगासा 145 सीआरपीसी की आदेशिका में दिनांक 18.10.2007 को यह इंगित किया गया है कि विवादित आराजी का तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया जा चुका अतः अब प्रकरण 145 सीआरपीसी में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 145 सीआरपीसी का इस्तगासा पूर्व में ही फैसल किया जाकर मूल वाद के साथ संलग्न करने के आदेश पारित किये जा चुके है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों , राजस्व रिकार्ड एवं बहस अधिवक्त पर गहन, अध्ययन, अवलोकन करने पर हम यह मानते है कि उक्त विवादित आराजी ग्राम मण्डावरा

तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 824 रकबा 3.46 हेक्टर भूमि पर संतोषबाई पुत्री रामनाथ दास खातेदार है, वादिया का वाद पत्र बाद अवलोकन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है उक्त विवादित आराजी पर वर्तमान में तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया हुआ है। अतः उक्त आराजी को रिसीवर से मुक्त किया जाता है। एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि रिसीवरी भूमि का कब्जा खातेदार संतोषबाई पुत्री रामनाथ दास को सम्भलाया जावे एवं रिसीवरी प्रकरण में रिसीवरी राशि का भुगतान यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो तो नियमानुसार खातेदार को भुगतान की कार्यवाही की जावे। एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि खातेदार के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहम पैदा नहीं करें। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.4.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद